GCMS-2024/605

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी छोटूराम बनाम भूमिधारी मु.सं. 352/2024

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

07-03-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 10.06.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 10.06.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। सीमाज्ञान दिनांकित 10.06.2024 की फर्द मौका रिपोर्ट में ख.नं. 1070/731 की दक्षिणी सीमा पर दीगर खातेदारान का कब्जा दर्शाया गया हैं। पत्थरगढ़ी के विधिक प्रावधानों में केवल सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर सीमा चिन्ह रोपित किये जाने का ही प्रावधान हैं, कब्जा दिलवाने व बेदखली का प्रावधान नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पत्थरगढ़ी किये जाने की हद तक न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 1070/731, 1071/731 में प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 10.06.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी ख.नं. 1070/731 में किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तब बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना